ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी.



## उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला तहसील

गाजीपुर कासिमाबाद

आवेदन क० 201950030116023 प्रमाणपत्र क० 656203011144 जारी दिनांक: 14/09/2020

प्रमाणित किया जाता है कि पुत्र/पुत्री माता का नाम निवासी ग्राम तहसील जिला

प्रियांशु गुप्ता अनन्त प्रसाद गुप्ता रीता गुप्ता ,सिंगेरा , पो॰- सिंगेरा सिंगेरा कासिमाबाद



ाजीपुर उत्तर प्रदेश राज्य की <u>तेली</u> जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रियांशु गुप्ता पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा)अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े बगों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एंव जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-॥।, दिनांक २० अक्टुबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ से यथा विहिप छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।

जारी कर्ता केन्द्र: शिव शंकर सिंह,जन सेवा पद: केन्द्र प्रभारी

स्थान : गाज़ीपुर,गाजीपुर दिनॉक: 18/10/2020

हस्ताक्षर एंव महर

BIRAG Digitally Signed by BIRAG BIRAG PANDEY

O=REVENUE
DEPARTMENT,
OU-REVENUE
DEPARTMENT,S=Ultar

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार डिजिटल हस्ताक्षरित कासिमाबाद,गाजीपुर दिनॉक:14/09/2020

ादनाक: 14/09/2020 वह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रोनिक दिलिवर किस्ट्रम डाइम् डैवार किवा गया है तथा दिजिटन सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया सवा है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट http://edistrict.up.gov.in पर इसका पहले आवेदन क॰ फिर प्रमाणपत्र क॰ अंकित कर,सत्वापित किया आ सकता है।